क्रम संख्या–241 (घ)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2007 ई0
अग्रहायण 20, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा अनु0–4)

संख्या 650/XXIV–4/2007
देहरादून, 11 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

प0 आ0–203

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2007

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में संचालित सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/सहायक प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए निम्न परिनियमावली प्रतिपादित की जाती है:–

भाग–1

1. यह परिनियमावली उत्तराखण्ड संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/सहायक प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की भर्ती एवं पदोन्नति परिनियमावली कही जाएगी।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
3. संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों तथा उनके शिक्षकों का वर्गीकरण–

   राज्य में संस्कृत शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:–

(क) प्रथमा से शास्त्री तथा प्रथमा से आचार्य पर्यन्त—(कक्षा 6 से स्नातक तथा कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक के विद्यालय) जिन्हें संस्कृत महाविद्यालय विद्यालय कहा जायेगा।

(ख) प्रथमा से उत्तर मध्यमा (कक्षा 6 से 12 तक) के विद्यालय जिन्हें संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा) कहा जायेगा।

(ग) प्रथमा से पूर्व मध्यमा (कक्षा 6 से 10 तक) के विद्यालय जिन्हें संस्कृत माध्यमिक (पूर्व मध्यमा) विद्यालय कहा जायेगा।

(घ) प्रथमा विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) के विद्यालय जिन्हें प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथमा) कहा जायेगा।

4. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/सहायक प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का वर्गीकरण एवं वेतनमान—

4.1 संस्कृत महाविद्यालय (कक्षा 6 से स्नातक तथा कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक):

संस्कृत महाविद्यालय के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है :—

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान
1.	प्रधानाचार्य	10000—325—15200
2.	प्रवक्ता	6500—200—10500
3.	सहायक प्रवक्ता	5500—175—9000

4.2 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा) (कक्षा 6 से 12 तक) :—

इन संस्कृत विद्यालयों के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है :—

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान
1.	प्रधानाचार्य	10000—325—15200
2.	प्रवक्ता	6500—200—10500
3.	सहायक अध्यापक	5500—175—9000

4.3 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (पूर्व मध्यमा) (कक्षा 6 से 10 तक):—

इन संस्कृत विद्यालयों के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है :—

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान
1.	प्रधानाध्यापक	7500—250—12000
2.	सहायक अध्यापक	5500—175—9000

4.4 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथम) (कक्षा 6 से 8 तक):—

इन संस्कृत विद्यालयों के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है :—

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान
1.	प्रधानाध्यापक	6500—200—10500
2.	सहायक अध्यापक	5500—175—9000

5. भर्ती का वर्ष—

1 जुलाई से 30 जून की अवधि भर्ती वर्ष मानी जायेगी।

भाग 2—भर्ती का स्रोत

6. विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी—

1.	प्रधानाचार्य, संस्कृत महाविद्यालय	सीधी भर्ती द्वारा
2.	प्रधानाचार्य, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा)	सीधी भर्ती द्वारा
3.	प्रधानाध्यापक, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (पूर्व मध्यमा)	सीधी भर्ती द्वारा
4.	प्रधानाध्यापक, प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथमा)	सीधी भर्ती द्वारा
5.	प्रवक्ता, संस्कृत महाविद्यालय	(एक) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक प्रवक्ता, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की जुलाई माह की प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
6.	सहायक प्रवक्ता, संस्कृत महाविद्यालय	सीधी भर्ती द्वारा
7.	प्रवक्ता (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय—उत्तर मध्यमा)	(एक) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (पूर्व मध्यमा/प्रथमा), जिन्होंने भर्ती के वर्ष की जुलाई माह की प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
8.	सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय—पूर्व मध्यमा/प्रथमा)	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से की जायेगी। यदि उस विद्यालय में भर्ती के स्रोत के वेतनमान में पद सृजित न हो तो नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

भाग—3

7. सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, गुणवत्ता अंक तथा चयन समिति—

7.1 प्रधानाचार्य संस्कृत महाविद्यालय के पद पर सीधी भर्ती—

(i) न्यूनतम अर्हता:—

(एक) महाविद्यालय को जिन विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा की मान्यता प्राप्त हो, उनमें से किसी विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन—जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% प्राप्तांक से है);

(दो) शोध उपाधि और स्नातक और/अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का 07 वर्षों का अनुभव;

अथवा

स्नातक और/अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का 10 वर्षों का अनुभव;

(तीन) संस्कृत महाविद्यालय/संस्कृत माध्यमिक (पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा) विद्यालय में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में 03 वर्ष का प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव।

(ii) गुणवत्ता अंकः—

क्रमांक	परीक्षा, नाम		गुणवत्ता अंक	अधिकतम अंक
1.	पूर्व मध्यमा / हाईस्कूल		अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
2.	उत्तर मध्यमा / इण्टरमीडिएट		अंकों का प्रतिशत X 2 / 10	20
3.	शास्त्री उपाधि		अंकों का प्रतिशत X 3 / 10	30
4.	आचार्य / स्नातकोत्तर		अंकों का प्रतिशत X 4 / 10	40
5.	शिक्षा शास्त्री / बी0एड0	लिखित	अंकों का प्रतिशत X .5 / 10	5
		क्रियात्मक	अंकों का प्रतिशत X .5 / 10	5
6.	शास्त्री / आचार्य कक्षाओं का अध्यापन अनुभव		03 अंक प्रतिवर्ष	30
7.	प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव		04 अंक प्रतिवर्ष	40
8.	पी0एच0डी0 उपाधि		20 अंक	20
		योग		200

टिप्पणी:—

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी अवधि विशेष में अध्यापक के रूप में अध्यापन का अनुभव प्राप्त किया गया है तथा अन्य अवधि में प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हुए अध्यापन भी किया है तो न्यूनतम अर्हता के सन्दर्भ में प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के रूप में प्राप्त अनुभव की अवधि को भी अध्यापन अनुभव की अवधि की गणना हेतु जोड़ा जायेगा। प्रबन्ध और प्रशासन के अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम गुणांक की गणना के उपरान्त अवशेष अवधि के लिए अध्यापन अनुभव के गुणवत्ता अंक प्रदान किये जायेंगे।

तथापि गुणवत्ता अंकों के सन्दर्भ में किसी एक अवधि के लिए अध्यापन अनुभव अथवा प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के रूप में प्रबन्ध और प्रशासन के अनुभव में से किसी एक ही अनुभव के लिए गुणवत्ता अंक प्रदान किये जायेंगे।

(iii) चयन समितिः—

1. सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य — सभापति
2. प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य — सदस्य
3. कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी — सदस्य

7.2 प्रधानाचार्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा) तथा प्रधानाध्यापक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (पूर्व मध्यमा) के पद पर सीधी भर्ती—

(i) न्यूनतम अर्हताः—

(एक) विद्यालय को जिन विषयों में माध्यमिक कक्षाओं (उत्तर मध्यमा / पूर्व मध्यमा) की मान्यता प्राप्त हो, उनमें से किसी विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% प्राप्तांक से है।)

(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/बी0एड0) और संस्कृत माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का 05 वर्षों का अनुभव;

अथवा

संस्कृत माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन का 10 वर्षों का अनुभव;

(तीन) संस्कृत विद्यालय (प्रथमा/पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा) में प्रधानाचार्य के रूप में 03 वर्ष का प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव;

(ii) गुणवत्ता अंकः—

क्रमांक	परीक्षा नाम		गुणवत्ता अंक	अधिकतम अंक
1.	पूर्व मध्यमा/हाईस्कूल		अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
2.	उत्तर मध्यमा/इण्टरमीडिएट		अंकों का प्रतिशत X 2 / 10	20
3.	शास्त्री उपाधि/स्नातक		अंकों का प्रतिशत X 3 / 10	30
4.	आचार्य/स्नातकोत्तर		अंकों का प्रतिशत X 4 / 10	40
5.	शिक्षा शास्त्री/बी0एड0	लिखित	अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
		क्रियात्मक	अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
6.	शास्त्री/आचार्य अथवा माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव		03 अंक प्रतिवर्ष	30
7.	प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव		~~04 अंक~~ प्रतिवर्ष	~~40~~
8.	पी0एच0डी0 उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक		~~10 अंक~~	~~10~~
		योग		200

टिप्पणीः—

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी अवधि विशेष में अध्यापक के रूप में अध्यापन का अनुभव प्राप्त किया गया है तथा अन्य अवधि में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हुए अध्यापन भी किया है तो न्यूनतम अर्हता के सन्दर्भ में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में प्राप्त अनुभव की अवधि को भी अध्यापन अनुभव की अवधि की गणना हेतु जोड़ा जायेगा। प्रबन्ध और प्रशासन के अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम गुणांक की गणना के उपरान्त अवशेष अवधि के लिए अध्यापन अनुभव के गुणवत्ता अंक प्रदान किये जायेंगे।

तथापि गुणवत्ता अंकों के सन्दर्भ में किसी एक अवधि के लिए अध्यापन अनुभव अथवा प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में प्रबन्ध और प्रशासन के अनुभव में से किसी एक ही अनुभव के लिए गुणवत्ता अंक प्रदान किये जायेंगे।

(iii) चयन समितिः—

1. सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य — सभापति
2. प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य — सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित समूह 'क' का एक राजपत्रित अधिकारी — सदस्य

7.3 प्रधानाध्यापक प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथमा) के पद पर सीधी भर्ती—

(i) न्यूनतम अर्हता:—

(एक) प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% प्राप्तांक से है)।

(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/बी०एड०) और संस्कृत कक्षाओं के अध्यापन का 05 वर्षों का अनुभव;

अथवा

संस्कृत कक्षाओं के अध्यापन का 10 वर्षों का अनुभव।

(ii) गुणवत्ता अंक:—

क्रमांक	परीक्षा नाम		गुणवत्ता अंक	अधिकतम अंक
1.	पूर्व मध्यमा/हाई स्कूल		अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
2.	उत्तर मध्यमा/इण्टरमीडिएट		अंकों का प्रतिशत X 2 / 10	20
3.	शास्त्री उपाधि/स्नातक		अंकों का प्रतिशत X 3 / 10	30
4.	आचार्य/स्नातकोत्तर		अंकों का प्रतिशत X 4 / 10	40
5.	शिक्षा शास्त्री/बी०एड०	लिखित	अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
		क्रियात्मक	अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
6.	माध्यमिक (पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा) अथवा प्रथमा कक्षाओं का अध्यापन अनुभव		03 अंक प्रतिवर्ष	45
7.	प्रबन्ध और प्रशासन का अनुभव		4 अंक प्रतिवर्ष	20
8.	पी०एच०डी० उपाधि		15 अंक	15
		योग		200

टिप्पणी:—

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी अवधि विशेष में अध्यापक के रूप में अध्यापन का अनुभव प्राप्त किया गया है तथा अन्य अवधि में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हुए अध्यापन भी किया है तो न्यूनतम अर्हता के सन्दर्भ में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में प्राप्त अनुभव की अवधि को भी अध्यापन अनुभव की अवधि की गणना हेतु जोड़ा जायेगा। प्रबन्ध और प्रशासन के अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम गुणांक की गणना के उपरान्त अवशेष अवधि के लिए अध्यापन अनुभव के गुणवत्ता अंक प्रदान किये जायेंगे।

तथापि गुणवत्ता अंकों के सन्दर्भ में किसी एक अवधि के लिए अध्यापन अनुभव अथवा प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में प्रबन्ध और प्रशासन के अनुभव में से किसी एक ही अनुभव के लिए गुणवत्ता अंक प्रदान किये जायेंगे।

(iii) चयन समितिः—

1. सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य — सभापति
2. प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य — सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी — सदस्य

7.4 प्रवक्ता/सहायक प्रवक्ता, संस्कृत महाविद्यालय के पद पर सीधी भर्ती—

(i) न्यूनतम अर्हताः—

(एक) सम्बद्ध विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% प्राप्तांक से है)।

(दो) शोध उपाधि (पी0एच0डी0) अथवा विशिष्टाचार्य (एम0फिल0);

अथवा

स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का 10 वर्षों का अनुभव।

(ii) गुणवत्ता अंकः—

क्रमांक	परीक्षा नाम		गुणवत्ता अंक	अधिकतम अंक
1.	पूर्व मध्यमा/हाई स्कूल		अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
2.	उत्तर मध्यमा/इण्टरमीडिएट		अंकों का प्रतिशत X 2 / 10	20
3.	शास्त्री उपाधि/स्नातक		अंकों का प्रतिशत X 3.5 / 10	35
4.	आचार्य/स्नातकोत्तर		अंकों का प्रतिशत X 5 / 10	50
5.	शिक्षा शास्त्री/बी0एड0	लिखित	अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
		क्रियात्मक	अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
6.	शास्त्री/आचार्य अथवा माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव		03 अंक प्रतिवर्ष	45
7.	पी0एच0डी0/एम0फिल0 उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक		20 अंक	20
	योग			200

(iii) चयन समितिः—

1. सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य — सभापति
2. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य — सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी — सदस्य

7.5 प्रवक्ता (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय–उत्तर मध्यमा) के पद पर सीधी भर्ती–

(i) न्यूनतम अर्हता:–

(एक) सम्बद्ध विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% प्राप्तांक से है)।

(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/बी०एड०);

अथवा

संस्कृत कक्षाओं में 05 वर्षों का शिक्षण अनुभव।

(ii) गुणवत्ता अंक:–

क्रमांक	परीक्षा नाम		गुणवत्ता अंक	अधिकतम अंक
1.	पूर्व मध्यमा/हाई स्कूल		$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 1}{10}$	10
2.	उत्तर मध्यमा/इण्टरमीडिएट		$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$	20
3.	शास्त्री उपाधि/स्नातक		$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 3.5}{10}$	35
4.	आचार्य/स्नातकोत्तर		$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 5}{10}$	50
5.	शिक्षा शास्त्री/बी०एड०	लिखित	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$	20
		क्रियात्मक	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 1}{10}$	10
6.	अध्यापन अनुभव		03 अंक प्रतिवर्ष	45
7.	पी०एच०डी०/एम०फिल० उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक		10 अंक	10
		योग		200

(iii) चयन समिति:–

1. सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य – सभापति
2. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य – सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी – सदस्य

7.6 सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय–पूर्व मध्यमा/प्रथमा) के पद पर सीधी भर्ती–

(i) न्यूनतम अर्हता:–

(एक) सम्बद्ध विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% प्राप्तांक से है)।

(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/बी०एड०);

अथवा

सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) गुणवत्ता अंक:–

क्रमांक	परीक्षा नाम		गुणवत्ता अंक	अधिकतम अंक
1.	पूर्व मध्यमा/हाई स्कूल		अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
2.	उत्तर मध्यमा/इण्टरमीडिएट		अंकों का प्रतिशत X 2 / 10	20
3.	शास्त्री उपाधि		अंकों का प्रतिशत X 4 / 10	40
4.	आचार्य/स्नातकोत्तर		अंकों का प्रतिशत X 3 / 10	30
5.	शिक्षा शास्त्री/बी0एड0	लिखित	अंकों का प्रतिशत X 2 / 10	20
		क्रियात्मक	अंकों का प्रतिशत X 1 / 10	10
6.	अध्यापन अनुभव		04 अंक प्रतिवर्ष	60
7.	पी0एच0डी0/एम0फिल0 उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक		10 अंक	10
		योग		200

(iii) चयन समितिः–

1. सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य — सभापति
2. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य — सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी — सदस्य

8. सीधी भर्ती से चयन की प्रक्रिया–

8.1 सीधी भर्ती से चयन निम्नांकित सिद्धान्तों पर आधारित होगा–

(क) सीधी भर्ती से चयन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण तथा अनुभव इत्यादि के लिए निर्धारित गुणवत्ता अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रमानुसार किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध सीधी भर्ती के पदों पर पृथक–पृथक चयन किया जायेगा।

8.2 प्रबन्ध तन्त्र संस्कृत विद्यालय तथा संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य और अध्यापकों को सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर पूर्ण कालिक आधार पर और सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त करेगा।

8.3 किसी संस्कृत विद्यालय तथा संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों (जिनमें प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं) की रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :–

(क) प्रबन्धतन्त्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आरक्षित वर्ग की रिक्तियों सहित अवधारित कर लिए जाने तथा मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचलन हो, पद विज्ञापित किए जायेंगे। समाचार–पत्रों की सूची मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित की जायेगी। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात स्थायी हैं या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य या प्रवक्ता या सहायक प्रवक्ता या सहायक अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें अध्यापक की आवश्यकता हो),

वेतन और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, आरक्षण आदि के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से तीन सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन–पत्र केवल पंजीकृत डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

टिप्पणी–कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

ख) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निर्धारित किया जाय।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन–पत्र को, जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भेज दिया जायेगा।

(घ) प्राप्त किए गए आवदन–पत्र मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और उनकी सन्निरीक्षा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी के गुण–विषयक अंक अभिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए कार्यरत शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों या प्रधानाचार्यों द्वारा दिये जायेंगे और इसकी जाँच मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन–पत्रों को विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पाँच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा तीन दिन के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धतन्त्र भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा तथा उसमें अभ्यर्थियों के गुण विषयक प्राप्तांकों का विवरण अंकित करायेगा।

(च) प्रबन्ध समिति द्वारा परिशिष्ट 'क' में दिए गए प्रपत्र में एक विवरण–पत्र (4 प्रतियों में) तैयार कराया जायेगा जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम, उसकी अर्हतायें और उसके सम्बन्ध में अन्य विवरण दिए जायेंगे और उन्हें चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखा जायेगा। सभी आवेदन–पत्र, संस्था द्वारा रखा गया रजिस्टर, चयन समिति के सदस्यों को भेजे गए सभी पत्रों की कार्यालय प्रतियों को भी, प्रबन्धतन्त्र द्वारा संस्था के माध्यम से चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(छ) चयन समिति द्वारा चयन गुण–विषयक अंकों के आधार पर किया जायेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण–पत्रों की जाँच तथा गुणांकों का सत्यापन कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक कार्यवृत्त दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चयनित किये गये अभ्यर्थी के नाम के साथ योग्यता क्रम में तैयार की गयी सूची तथा प्रतीक्षा–सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम दिए जायेंगे। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और दिनांक दिया जायेगा। इस कार्यवृत्त की प्रति सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों का योग बराबर हो तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

8.4 (1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से सम्बन्धित सभी कागज–पत्रों की छान–बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करें कि किसी अभ्यर्थी को ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उसे उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट 'क' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देंगे। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक

के फलस्वरूप विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को सूचित करेंगे। यदि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का यह समाधान हो जाय कि इससे चयन की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह चयन की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिए आदेश देगा। इस सम्बन्ध में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के आदेश अन्तिम और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए आबद्धकर होंगे।

(2) चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन–पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर प्रबन्धतन्त्र द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसा कि विहित की जाये और मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को, जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किए जायेंगे।

8.5 संस्था का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने के पूर्व की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति के सभापति या सदस्य का नाम–निर्देशन भी है, यथासमय कर ली जाय और निर्धारित दिनांक पर चयन समिति की बैठक का सभी प्रबन्ध कर दिया गया है।

8.6 मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन जिला मुख्यालय पर ऐसे समय और दिनांक पर निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हो।

8.7 (1) चयन समिति की सिफारिश और सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ख' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

8.8 सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण–

सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों का उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण होना आवश्यक है, किन्तु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों, यदि वे सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन करते हैं, तो उनके लिए सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा।

8.9 अनुभव का प्रमाण–पत्र–

अध्यापन अनुभव तथा प्रबन्ध एवं प्रशासन अनुभव विधि रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय का ही मान्य होगा। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 08 माह कार्य करने पर ही अनुभव की एक वर्ष की गणना की जायेगी। अनुभव के लिए परिशिष्ट–'ग' में निर्धारित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा।

8.10 सरकार आदेश द्वारा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन कर सकेगी।

9. पदोन्नति की व्यवस्था–

9.1 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति से व्यवस्था–

(i) (क) जहां कोई संस्था एक स्तर से उच्च स्तर पर क्रमोन्नत की जाय, वहां ऐसे क्रमोन्नत विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का पद क्रमोन्नति से पूर्व उस विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा–अभिलेख अच्छा हो, तथा वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ग) उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति के उस प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें ऐसे प्रधमाचार्य/प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का अनुमोदन किया गया हो, उसकी सेवा–पुस्तिका और चरित्र–पंजी संलग्न होगी और उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया होगा, अर्थात्–

(1) जन्म का दिनांक;

(2) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षाएं जिसमें ऐसी परीक्षाओं के विषय–श्रेणी और उत्तीर्ण करने का वर्ष उल्लिखित होगा।

(घ) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय उसकी प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) उप खण्ड (घ) के अधीन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का विनिश्चय प्रबन्ध समिति को और सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को भी संसूचित किया जायेगा।

(च) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, उप खण्ड (ङ) के अधीन आदेश के संसूचित किए जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसके विरुद्ध निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

(ii) उक्त के अतिरिक्त अन्यथा प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा।

9.2 अध्यापक वर्ग के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था–

(i) संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालयों में अध्यापक श्रेणी के पद निम्नवत् हैं–

(1) प्रवक्ता, संस्कृत महाविद्यालय;

(2) सहायक प्रवक्ता, संस्कृत महाविद्यालय;

(3) प्रवक्ता (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय–उत्तर मध्यमा);

(4) सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय–पूर्व मध्यमा/प्रथमा)।

(ii) संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के क्रमांक 01 तथा 03 पर दिये गये पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जायेगा।

1. पदोन्नति ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति के लिए उपलब्धता तथा पात्रता के अधीन रहते हुए की जायेगी।

2. पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधा से कम भाग छोड़ दिया जायेगा और आधा या आधा से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

3. स्वीकृत पद का तात्पर्य किसी ऐसे पद से है जिसका सृजन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से न किया गया हो वरन जो ऐसे पद का सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा सृजित किया गया हो।

4. किसी ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जिसका इस परिनियमावली के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण–पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :–

(क) उस श्रेणी में जिसमें पदोन्नति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या,

(ख) ऐसे पदों की संख्या जो पदोन्नति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे,

(ग) ऐसे पदों की संख्या जो पहले ही पदोन्नति द्वारा भर दिए गये हों और पदाधिकारियों के नाम,

(घ) ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या जो विद्यमान हो,

(ङ) प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित रिक्तियों की संख्या, जो–,

(1) पदोन्नति

(2) सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(च) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के नाम, उनकी अर्हता और उस श्रेणी में, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से उनकी सेवा की अवधि, और

(छ) पदोन्नति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों के नाम।

5. उपरोक्त खण्ड (4) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक उस पर अपना विनिश्चय प्रबन्धक को संसूचित करेगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ने प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।

6. जहाँ प्रबन्ध समिति उपरोक्त खण्ड (5) के अधीन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित हो, वहां वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, उसके विरुद्ध निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

9.3 प्रोन्नति के लिए चयन समिति–

प्रोन्नति के लिए चयन समिति वही होगी जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गयी है।

10. आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु आरक्षण सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

11. संस्थाओं के प्रधान तथा अध्यापकों की सेवा शर्तें–

मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किये गये अनुबन्ध में उल्लिखित हों। जहाँ यह अनुबन्ध इस परिनियमावली के उपबन्धों अथवा समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों से असंगत हो, शून्य होगा।

12. परीवीक्षा काल–

सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी को एक वर्ष के लिए परीवीक्षा पर रखा जाएगा। प्रबन्धाधिकरण द्वारा किसी अभ्यर्थी के परीवीक्षा काल को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

13. स्थायीकरण–

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी को स्थायी किया जाएगा, यदि–

(1) उसने परीवीक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया हो;

(2) उसने निर्धारित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(3) उसने निर्धारित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो;

(4) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो।

परिशिष्ट 'क'

संस्था का नाम ———————— चयन समिति की बैठक का स्थान ————————

पद का विवरण जिसमें नियुक्ति हेतु चयन के लिए बैठक की गयी :—

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम पते सहित	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है	जन्म दिनांक
1	2	3	4

शैक्षिक उपलब्धि

उत्तीर्ण परीक्षा	विषय	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	गुण विषयक अंक
5	6	7	8	9

प्रशिक्षण

उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	श्रेणी लिखित	गुण विषयक अंक	श्रेणी क्रियात्मक	गुण विषयक अंक
10	11	12	13	14	15

शिक्षण अनुभव

संस्था का नाम	पद	वेतनमान	अवधि		कुल अनुभव (पूर्ण वर्षों में)	गुण विषयक अंक
			कब से	कब तक		
16	17	18	19	20	21	22

प्रबन्ध एवं प्रशासन अनुभव

संस्था का नाम	पद	वेतनमान	अवधि		कुल अनुभव (पूर्ण वर्षों में)	गुण विषयक अंक
			कब से	कब तक		
23	24	25	26	27	28	29

पी0एच0डी0/ एम0फिल0 है	यदि हाँ तो गुण विषयक अंक	गुण विषयक अंकों का योग	चयन समिति के सदस्यों का पर्यवेक्षण	क्या सदस्य चयन से सहमत हैं (हैं या नहीं) यदि नहीं तो संक्षेप में कारण बतायें	अभ्युक्ति
30	31	32	33	34	35

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने चयन से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की जाँच कर ली है और विशेष रूप से परीक्षा कर ली है कि कोई भी अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में चयन के विधि समस्त दावे से वंचित नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर ————————

पूरा नाम ————————

पदनाम ————————

पता ————————

दिनांक ————————

परिशिष्ट 'ख'

रजिस्ट्रीकृत आवरण में

संख्या ________________ दिनांक ________________

संस्कृत विद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय का नाम ________________

स्थान ________________

जिला ________________

विषय–संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन ________________ के पद के लिए किया गया था तथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने पत्रांक ________________ दिनांक ________________ द्वारा आपको ________________ रुपये के वेतनक्रम में ________________ रुपये के प्रारम्भिक वेतन तथा अनुमन्य महंगाई भत्ते पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से ________________ के पद पर नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र के प्राप्ति के दिनांक के पन्द्रह दिन के भीतर संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीय

प्रबन्धक।

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा अधिकारी ________________।

मण्डलीय उपर शिक्षा निदेशक ________________ को सूचनार्थ अग्रसारित।

परिशिष्ट 'ग'

अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ____________ पुत्र/पुत्री श्री ____________ ने दिनांक ________ से दिनांक ________ तक संस्था ____________ में ____________ के रूप में कार्य किया है/कार्य कर रहे हैं।

*इस अवधि में इनके वेतन का भुगतान ____________ बैंक के माध्यम से किया गया है। इनका खाता संख्या ____________ है/था।

*इस अवधि में इनके वेतन का भुगतान संस्था की रोकड़ बही के माध्यम से नकद किया गया है जिसकी अंकना संस्था की रोकड़ बही संख्या ________ के पृष्ठ ________ से पृष्ठ ________ तक अंकित है।

दिनांक :

हस्ताक्षर ____________

नाम ____________

पद–प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक ____________

संस्था का नाम ____________

मोहर ____________

संस्था के अभिलेखों से सत्यापित

दिनांक :

हस्ताक्षर ____________

मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ____________

नाम ____________

मोहर ____________

*जो लागू न हो, काट दें।

आज्ञा से,

डी0 के0 कोटिया,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 शिक्षा/648–2007–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।